



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)
प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के एकल वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौ महीने		समाप्त वर्ष
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.03.2025
	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	10,396	10,183	9,642	30,886	28,021	37,831
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	9,263	8,768	8,379	27,092	24,373	33,042
(ख) निवेशों पर आय	545	690	625	1,901	1,821	2,449
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	588	725	638	1,893	1,827	2,340
(घ) अन्य	-	-	-	-	-	-
2. अन्य आय	145	159	204	431	511	680
3. कुल आय (1+2)	10,541	10,342	9,846	31,317	28,532	38,511
4. ब्याज व्यय	8,096	7,594	7,203	23,536	20,777	28,351
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	355	360	332	1,035	975	1,430
(i) कर्मचारी लागत	220	197	168	637	558	773
(ii) अन्य परिचालन व्यय	135	163	164	399	417	657
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	8,451	7,954	7,535	24,572	21,752	29,781
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	2,090	2,388	2,311	6,745	6,780	8,730
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनरांकन पश्चात् निवल]	701	187	1,425	866	1,467	2,332
9. असाधारण मर्दे	-	-	-	-	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	1,389	2,201	886	5,879	5,313	6,398
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात् निवल]	324	509	203	1,380	1,306	1,587
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात् निवल लाभ(+) / हानि(-) (10-11)	1,065	1,692	683	4,499	4,007	4,811
13. असाधारण मर्दे (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	1,065	1,692	683	4,499	4,007	4,811
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	569	569	569	569	569	569
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	40,006	38,942	34,837	40,006	34,837	35,508
17. विश्लेषणात्मक अनुपात						

(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल III)	17.54%	18.51%	18.50%	17.54%	18.50%	19.62%
(iii) प्रति शेयर आमदनी (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	18.73#	29.77#	12.01#	79.13#	70.48#	84.62
(iv) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात						
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	625	390	106	625	106	183
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.11	0.08	0.02	0.11	0.02	0.04
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात्) (वार्षिकीकृत)	0.70%	1.19%	0.52%	1.03%	1.03%	0.89%
(vi) निवल मालियत	36,847	36,587	32,889	36,847	32,889	32,330
(vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	-
(viii) पूँजी मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-	-
(ix) डिबेंचर मोचन आरक्षिती	-	-	-	-	-	-
(x) परिचालन सीमा	19.82%	23.09%	23.47%	21.54%	23.76%	22.67%
(xi) निवल लाभ सीमा	10.10%	16.36%	6.93%	14.37%	14.04%	12.49%
(xii) ऋण – ईक्विटी अनुपात *	9.71	8.91	9.06	9.71	9.06	9.81
(xiii) कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण (%) *	57.97	55.87	55.64	57.97	55.64	55.83

अवर्षिकीकृत

* ऋण (जमा को छोड़कर) कुल उधार को दर्शाता है

टिप्पणियाँ:

- 1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) निदेशक मंडल द्वारा फरवरी 06, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम समीक्षित किए गए हैं।
- 3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दूसरी तिमाही के आंकड़े, छमाही के अंत के संबंध में लेखापरीक्षित/समीक्षित आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रकाशित समीक्षाकृत आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4) 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों के वित्तीय परिणाम गैर-निष्पादित आस्तियों, मानक आस्तियों, अचल संपत्तियों पर मूल्यहास, छूट के परिशोधन, निवेश पर आय /बांड जारी करने से संबंधित खर्चों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर निवेश मूल्यहास के प्रावधानों पर विचार करने के उपरांत तैयार किए गए हैं। आयकर, आस्थगित कर और अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान जिनमें कर्मचारी लाभ शामिल हैं, आवश्यकतानुरूप और वर्षांत पर समायोजन के अधीन अनुमानित/आनुपातिक आधार पर किए गए हैं।
- 5) बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसरण में, आईआरएसी मानदंडों के तहत न्यूनतम निर्धारित दरों से अधिक दरों पर मानक अग्रिमों से संबंधित एक अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक ने 31 दिसंबर, 2025 तक ₹3,902.84 करोड़ रुपये के मानक अग्रिमों (पुनर्संचित खाते सहित) पर अतिरिक्त प्रावधान अवधारित किए हैं।
- 6) 24 सितंबर, 2021 को ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर भा. रि. बैंक मास्टर निर्देश के तहत 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

ऋणों का हस्तांतरण :

- i) हस्तांतरित गैर-निष्पादित आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़)

विवरण	आस्ति वसूली कंपनियों को	अनुमन्य हस्तांतरितियों को	अन्य हस्तांतरितियों को
खातों की संख्या	1	-	-
अंतरित ऋणों का सकल मूलधन बकाया	5.44	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	लागू नहीं	-	-

अंतरित ऋणों का निवल बही-मूल्य (अंतरण के समय)	-	-	-
सकल प्रतिफल	3.43	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, प्रतिभूति-प्राप्तियों (एसआर) में कोई निवेश नहीं हुआ है। अवधारित सभी प्रतिभूति-प्राप्तियों के लिए प्रावधान किए जाते हैं और इसलिए निवल बही मूल्य शून्य है। दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान शून्य रहा।

ii बैंक ने किसी भी ऐसे ऋण का हस्तांतरण नहीं किया है, जो चूकग्रस्त / विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) नहीं है।

ऋण का अधिग्रहण :

iii बैंक ने किसी दबावग्रस्त ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।

iv समनुदेशन के माध्यम से 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों, अधिगृहीत गैर-चूक संबंधी ऋणों के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़)

विवरण	2025-26 (31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों)	2024-25
अधिगृहीत ऋणों की सकल राशि (₹ करोड़ में)	551.54	1,157.11
भारित औसत शेष परिपक्वता (माह सं.)	102.84	127.48
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारिता की अवधि (माह सं.)	9.16	10.43
प्रवर्तक द्वारा लाभप्रद आर्थिक हित का प्रतिधारण	17.66%	20%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	190.41%	216.75%
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	लागू नहीं	लागू नहीं

7) दिनांक 19 जून, 2025 को जारी, भारतीय रिजर्व बैंक (परियोजना वित्त) निर्देश, 2025 के अनुसार 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त अवधि के लिए परियोजना ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़)

क्र. सं.	मद का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाय राशि
1	तिमाही के आरंभ में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना-खाते।	2494	5,678.78
2	तिमाही के दौरान कार्यान्वयन के अंतर्गत मंजूर परियोजना-खाते।	625	1,247.37
3	कार्यान्वयन के अंतर्गत ऐसे परियोजना-खाते, जिनमें तिमाही के दौरान डीसीसीओ हासिल हो गया है।	1077	2,570.61
4	तिमाही के अंत में कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजना-खाते। (1+2-3)	2042	5,595.17
5	'4' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है।	932	3,069.85
5.1	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	932	3,069.85
5.2	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0	0.00
5.3	'5' खातों में से - जिनमें समाधान योजना सफल नहीं हो सकी है।	0	0.00
6	'5' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, परियोजना की व्याप्ति और स्वरूप में परिवर्तन के कारण लागू किया गया है।	4	7.62
7	'5' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन से जुड़ी लागत में वृद्धि के कारण, जैसा भी मामला हो, परियोजना का वित्तपोषण किया गया।	0	0.00
7.1	'7' में से जिन खातों में वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ मंजूर किया गया और लगातार नवीनीकृत किया गया।	0	0.00
7.2	'7' में से जिन खातों में एसबीसीएफ की पूर्व-मंजूरी नहीं की गई अथवा उन्हें लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया।	0	0.00
8	'4' में से - जिन खातों के संबंध में मूल/अभिवर्धित डीसीसीओ में अभिवर्धन संबंधी शामिल न की गई समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, लागू किया गया है।	0	0.00

8.1	'8' में से - जिन खातों के संबंध में समाधान योजना कार्यान्वित की गई है।	0	0.00
8.2	'8' खातों में से - जिनमें समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।	0	0.00
8.3	'8' खातों में से - जिनमें समाधान योजना सफल नहीं हो सकी है।	0	0.00

- 8) निवल गैर निष्पादित आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
- 9) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एस का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
- 11) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 - वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफआई) में निवेश और उसके पश्चात् दिनांक 27 मार्च, 2024 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/140 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 85/21.04.048/2023-24 के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के क्रम में बैंक ने तत्संबंधी प्रभाव का आकलन किया है और ऐसे मामलों में 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीनों के दौरान रु.12 करोड़ के प्रावधान किए हैं।
- 12) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/डीओआर/2023-24/105 डीओआर.एफआईएन.आरईसी.40/01.02.000/2023-24 के अनुसार, एआईएफआई को 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही से बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत प्रयोज्य स्तंभ 3 के प्रकटीकरण का उल्लेख आवश्यक है। तदनुसार, पिछली अवधि के समरूपी ब्यौरे प्रयोज्य नहीं हैं। बेसल III पूंजी विनियमों के अंतर्गत स्तंभ 3 के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.sidbi.in/listing-disclosure पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन प्रकटीकरणों की सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है।
- 13) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

[मनोज मित्तल]

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक : फरवरी 06, 2026

स्थान: नई दिल्ली



- SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें।



@sidbiofficial